न्यायालय जिला कलक्टर,बाडमेऱ

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 31/2016

अपीलांट
खमीशा पुत्र आचार जाति
मुसलमान निवासी मुसलमानों
की ढाणी,बिशाला तहसील,
बाड़मेर

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.मठार पुत्र बादल खा
2.लुणी पत्नि हकीम
जाति मुसलमान निवासी
मुसलमानो की ढाणी,बिशाला
तहसील बाड़मेर
3.तहसीलदार,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनाक 20.12.2010 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः– 1.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री कैलाश एन.सारण अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.07.2017

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 2 की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 731रकबा 33 बीघा 16 विस्वा मौजा मुसलामानों की ढाणी,बिशाला में आया हुआ है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा मुसलमानों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 731 रकबा 33 बीघा 16 आया हुआ है। इसी

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। इसी अनुसार खेतो में लाईन डालकर पक्षकारान ने विभाजन, कब्जा एंव हिस्सा अनुसार रंग भरने की अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का ने मौका अनुसार विभाजन आवेदन तैयार करते समय इसी अनुरूप नक्शा बनाने एंव खेतों में लाईन डालकर विभाजन का आश्वासन दिया था। मगर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया। अपीलांट की ढाणी,बाड़े आदि वाला भाग रेस्पोडेंट के हिस्से में चला गया, इससे विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2010 की पालना में नामान्तरकरण भी पारित किया गया तथा लठ्टा ट्रेस में अलग अलग तरमीम भी करने से अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं हुई। एक माह पूर्व रेस्पोडेंट ने अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार कब्जा हटाने हतु कहा,जिस पर कारण पूछने पर आदेश उसकी पक्ष में होने का ज्ञान हुआ, तब नकले प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व अन्य सह खातेदारों–उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा मुसलमानो की ढाणी,बिशाला के खसरा नम्बर 731 रकबा 33 बीघा 16 विस्वा की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की सहमति से बनाने का आश्वासन दिया था मगर नक्शा कब्जे अनुसार नहीं बनाया गया। इससे अपीलांट एंव रेस्पोडेंटस के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं हुआ है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मोके पर कब्जे काश्त में भिन्नता होने से प्रकरण पुनः मौके पर भौतिक कब्जे अनुसार रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

5. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बाडमेर द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 20.12.2010 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा मुसलमानो की ढाणी,बिशाला के खेत खसरा नम्बर 731 रकबा 33 बीघा 16 विस्वा भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यो, एवं आपसी सहमति की भावना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी अनुसार पक्षकारान ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा करने में सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाड़मेर ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2010को अपास्त किया जाता है, और तहसीलदार,बाड़मेर को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner